ग्राम पंचायत बगगुलेहड़, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन बगगुलेहड़

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग–एक

1. **प्रस्तावना :–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बगगुलेहड़ विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बगगुलेहड़ में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

1	श्रीमति सन्धया देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–.

1	श्री अनिल कुमार	01.04.2022 से 21.11.2021
2	श्री विपन कुमार	22.11.2021 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बगगुलेहड़ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का सक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	28.78
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.01
3	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.01

4	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करना	0.03
5	8	ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	4.29
6	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना भुगतान करना।	2.01
7	10	प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में राशि के अन्तर बारे	4.14

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत बगगुलेहड़, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.08.2024 से 30.08.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022–2023	07/2022	05/2022
2023–2024	06/2023	03/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer)</u> :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत बगगुलेहड़, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता

है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 344 दिनांक 30.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत बगगुलेहड़, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत बगगुलेहड़ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	380426.36	64850.00	42599.00	487875.36	186575.00	301300.36
2023–24	301300.36	96289.72	30742.00	428332.08	57065.00	371267.08

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत बगगुलेहड़ के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022–23	2197810.94	4283165.00	49617.66	6530593.60	4035697.80	2494895.80
2023–24	2494895.80	3778154.00	72052.00	6345103.80	3470308.24	2874795.56

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC ,15th FC, Fishries,VHSC,SDRF, MPLAD, RGSA			
A/c No. 20012007957			**812664.08**
A/c No. 50100331461585	**15th FC**		**2068682.56**
A/c No. 100203848369	**RGSA**		**364716**
cash in hand			**33**
		Total	**3246095.64**

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		**371267.08**
Cash Book Balance on 31.03.2024	**PS**	**139100**
Cash Book Balance on 31.03.2024	**5 SFC**	**142315**
Cash Book Balance on 31.03.2024	**VKVNY**	**4061**

Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC		0
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC		2068682.56
Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY		50000
Cash Book Balance on 31.03.2024	13TH		10000
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDP		15849
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD		80072
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA		364716
		Total	3246062.64
		diffrence	-33

अतः रोकड़ बहियों एवं बैंक खातों के परस्पर शेष में दिनांक 31.03.24 को पाये गये अन्तर का कारणों सहित औचित्य स्पष्ट करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.1 निर्देशानुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग बैंक खाते न खोलना :–

निदेशक, पंचायत राज के पत्र सख्या PCH-HA(15)-13(L)5-47005-81 दिनांक 15.02.12 में दिये गये निर्देशों अनुसार अलग–अलग स्कीमों के लिए अलग–अलग खाते खोले जाने अपेक्षित है ।

पंचायत द्वारा खाता क व ख के अन्तर्गत Own Source, 5TH SFC, VKVNY, Fishries, VHSC, SDRF, MPLAD आदि स्कीमों के लिए हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के प्रावधान का उल्लघंन करते हुये एवं उपराक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध एक ही बैंक खाता संख्या 20012007957 के0सी0सी0बी0 खोला गया था जिससे न केवल निदेशक पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अवहेलना हुई अपितु खाताबार/स्कीमवार प्राप्त अनुदान ब्याज व भुगतान/व्यय आदि की सत्यता की अंकेक्षण में समुचित पुष्टि नहीं की जा सकी।

अतः इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति अनुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार तुरन्त प्रभाव से निदेशक पंचायती राज के उक्त पत्र मे वर्णित निर्देशों के अनुपालनार्थ सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 345 दिनांक 30.08.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबीएजी–06 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. **निवेशः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2024 को पंचायत की सभा निधि में ₹3,71,267/–की राशि शेष थी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. **अनुदान राशि ₹28.75 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :—**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान ₹ 28,74,795/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

शेष अनुदान की उक्त राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. **पंचायत राजस्व ₹2,650/– वसूली हेतू शेष पाया जाना:—**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के अनुसार ग्राम पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जायेगी तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2024 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹50/– **परिशिष्ट–2** के अनुसार प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹1,200/– वसूली हेतु शेष था :—

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–2023	0	21750	21750	0	21750
2023–2024	21750	24150	45900	44700	1200

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346 दिनांक 30.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबीएजी–06 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये गये हैं तथा बकाया राशि ₹1,200/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः पंचायत राजस्व की इतनी अधिक राशि के परादेय होने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1,450/– की वसूली न करने बारेः–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 व 2023–24 में निम्न विवरणानुसाार ₹1,450/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः–

क्र0सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वास्तविक वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि (₹)
1	22	अंकित कुमार पुत्र श्री ईश्वर दास	14.03.22	08.05.22	400	0	400

2	23	सुशील कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द	09.05.22	09.06.22	400	0	400
3	24	राहुल पुत्र श्री ओंकार चन्द	18.07.22	22.08.22	400	0	400
4	01	अरूण कुमार पुत्र श्री रत्न चन्द	27.12.22	17.03.23	50	0	50
5	02	पंकज कुमार पुत्र श्री रवि दास	30.05.22	12.06.23	200	0	200
							1450

विवाह पंजीकरण शुल्क की उक्त वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347 दिनांक 30.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबीएजी–06 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि ₹3,225/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त **₹3,225/–** की राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि
1	2022–23	800.00
2	2023–24	2425.00

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 348 दिनांक 30.08.24 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबीएजी–06 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

ANNUAL REPORT

8. खनन सामग्री की आपूर्ति के समर्थन में ट्रांजिट पास फार्म X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹4.29 लाख के अनियमित भुगतान करने बारेः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अन्तर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/विक्रेताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फार्म एक्स या डब्ल्यू जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** पर संलग्न चुनिदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फार्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को चुनिंदा मासों के दौरान **₹**4,28,930/– की राशि का अनियमित भुगतान एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 349 दिनांक 30.08.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के पत्र संख्या जीपीबीएजी–06 दिनांक 05.09.2024 द्वारा सूचित किया कि फार्म एक्स व डब्ल्यू प्राप्त नहीं किये गये हैं। अतः भविष्य में उक्त फार्म प्राप्त करके ही भुगतान किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास फार्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरूद्ध एवं समय–समय पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को उनके पूर्ण विवरण सहित या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹ 2.01 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 2,01,493/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री के माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो

सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 350 दिनांक 30.08.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबीएजी–06 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में निविदायें प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा ।

अतः नियमों के विपरीत किये गये क्रय/व्यय बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
38 05.03.24	बिल नं0 1877 दि0 17.07.23 रितेश टेडिंग कम्पनी	पाईप एन्गल इत्यादि	134670.00	नि0 शमशान घाट गडियाडा MPLAD
56, 22.03.24	बिल नं0 0662 दि0 11.01.24 मै0 आर0के0 डोगरा	सरिया	40627.00	नि0 लोक मित्र केन्द्र RGSA
57, 22.03.24	बिल नं0 0663 दि0 11.01.24 मै0 आर0के0 डोगरा	सरिया	26196.00	नि0 लोक मित्र केन्द्र RGSA

10 प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹4.14 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 4,13,859.36 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गया:–

31.03.2024 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	2832203.28
31.03.2024 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	3246062.64
अन्तर	₹	413859.36

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 351 दिनांक 30.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीबीएजी–06 दिनांक 05.09.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफट बेबसाईट वाधित होने व गलत प्रविष्टि होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

11. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया के अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण होने एवं अस्पष्टता के चलते किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
3	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)

11. **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

13. **निष्कर्ष** :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

5761-5768 का0/50 28 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)438/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बगगुलेहड़, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Baggulehar" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SBM	139100	0	0	139100	0	139100
2	5 SFC	107643	313770	0	421413	271370	150043
3	VKVNY	10000	100000	0	110000	72550	37450
4	14TH FC	524794.34	0	9846.66	534641	534641	0
5	15TH FC	1177120.6	919671	39771	2136562.6	306893.8	1829668.8
6	Fishries	50000	0	0	50000	0	50000
7	VHSC	10000	0	0	10000	0	10000
8	SDRF	15849	0	0	15849	0	15849
9	MPLAD	163304	175000	0	338304	75519	262785
10	RGSA	0	0		0	0	0
11	MNREGA	0	2774724	0	2774724	2774724	0
	Total Rs.	2197810.94	4283165	49617.66	6530593.6	4035697.8	2494895.8

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Baggulehar" for the year ended 2023-24

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SBM	139100	0	0	139100	0	139100
2	5 SFC	150043	404452	0	554495	412180	142315
3	VKVNY	37450	154000	0	191450	187389	4061
4	14TH FC	0	0	0	0	0	0
5	15TH FC	1829668.8	800072	59275	2689015.8	620333.24	2068682.56
6	Fishries	50000	0	0	50000	0	50000
7	VHSC	10000	0	0	10000	0	10000
8	SDRF	15849	0	0	15849	0	15849
9	MPLAD	262785	123000	0	385785	305713	80072
10	RGSA	0	500000	12779	512779	148063	364716
11	MNREGA	0	1796630	0	1796630	1796630	0
	Total Rs.	2494895.8	3778154	72054	6345103.8	3470308.24	2874795.56

Balance as per Bank on 31.03.2024

1 Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, Fishries, VHSC, SDRF, MPLAD, RGSA

A/c No. 20012007957	812664.08
A/c No. 50100331461585	2068682.56
A/c No. 100203848369	364716
cash in hand	33
Total	3246095.64

Cash Book Balance on 31.03.2024 (Own Source)		371267.08
Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM	139100
Cash Book Balance on 31.03.2024	5 SFC	142315
Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY	4061
Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC	0
Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC	2068682.56
Cash Book Balance on 31.03.2024	Fishries	50000
Cash Book Balance on 31.03.2024	VHSC	10000
Cash Book Balance on 31.03.2024	SDRF	15849
Cash Book Balance on 31.03.2024	MPLAD	80072
Cash Book Balance on 31.03.2024	RGSA	364716
	Total	3246062.64
	diffrence	-33

Sandhya

Pradhan

Secy

Gram Panchayat Baggulehar

Dev. Block, Nagrota Bagwan Kangra,H.P.

Financial Position of Own sources in r/o GP Baggulehar

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	380426.36	64850	42599	487875.36	186575	301300.36
2023-24	301300.36	96289.72	30742	428332.08	57065	371267.08

Sandhya

Pradhan Secy.

Gram Panchayat Baggulehar

Dev. Block, Nagrota Bagwan Kangra,H.P.

परिशिष्ट-2

(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 के सन्दर्भ में)

List of outstanding Property tax for the period of 2022-23 & 2023-24 in r/o GP Baggulehar **Distt.Kangra,H.P.**

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	0	21750	21750	0	21750
2023-24	21750	24150	45900	44700	1200
	50/- PER ANNUAM				

Pradhan Secy.
Gram Panchayat Baggulehar
Dev. Block, Nagrota Bagwan Kangra,H.P.

पी०एम०ई० 3
(अवैध प्रोसेस के लिए संख्या 8 के संदर्भ में)

GP Baggulehad 2022-2023

Name of work	Head	Vendor name	Bill no	Bill Date	Payment date	Sand (Cft)	Bajir (Cft)	AMOUNT
निर्माण कुहलव नाली उर्मिला देवी की ज़मीन से लेकर पूर्ण चंद ,प्रसोतम लाल अशोक कुमार की गौशाला तक (1304009406/IC/32060837)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	979	14/03/2022	25/05/2022	400	300	**26703**
Nirman Sampark Marg Village Bhati to Shiv Mandir (1304009406/RC/8000117638)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	799	17/02/2022	25/05/2022	150	430	22107.2
निर्माण रास्ता ओंकार चंद के घर से पंजाब सिंह की दुकान तक (1304009406/RC/8000129766)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	924	3/3/2022	25/05/2022	550	500	40049.2
निर्माण लिंक रोड अमर नाथ की ज़मीन से ओम राज की ज़मीन तक (1304009406/RC/8000129768)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	930	3/3/2022	25/05/2022	780	0	29788
निर्माण लिंक रोड अमर नाथ की ज़मीन से ओम राज की ज़मीन तक (1304009406/RC/8000129768)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	931	3/3/2022	25/05/2022	700	600	44945
निर्माण रास्ता सुनील के घर से गरनू तक गदियाड़ा (1304009406/RC/8000129778)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	929	3/3/2022	25/05/2022	358	400	28908
नि0 रास्ता सड़क से लेकर मिलाप चंद के घर तक (1304009406/RC/8000129786)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	927	3/3/2022	25/05/2022	480	380	32805.4
नि0 लिंक रोड मेंन सड़क से जीत राज के घर तक (1304009406/RC/8000129789)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	926	3/3/2022	25/05/2022	500	500	38140
निर्माण वाटर टैंक अमी चंद की जमीन	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	928	3/3/2022	25/05/2022	229	200	16363.51
नि0 लिंक रोड पुली से आत्मा राम के घर की और (1304009406/RC/8000129794)	MNREG	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	980	3/3/2024	25/05/2022	540	545	41381.65
						4687	3855	321190.31

Sandhya
Pradhan
Gram Panchayat Baggulehad
Dev. Block, Nagrota Bagwan Kangra,H.P.

Secy.

17

				2023-2024				
	Name of work	Head	Vendor name	V.N/ Date	Bill no	Sand (Cft)	Bajir (Cft)	AMOUNT
1	निर्माण गंदे पानी की निकासी नाली सुरेश कुमार के घर से देवी दास के तक होसटी	15th	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	48,27/3/2024	791,29/2/2024	250	250	24250
2	निर्माण गंदे पानी की निकासी नाली ब्रिज मोहन रवि कुमार के घर से खेतो की ओर	15th	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	49,27/3/2024	792,29/2/2024	150	150	14550
3	निर्माण लोक मित्र केंद्र	RGSA	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	59 , 20/3/2024	664, 11/1/2024	400	400	40740
4	निर्माण शमशान घाट गदियाडा	MPLD	M/s R.K.Dogra.& Bros. Hatwas	63,20/3/2024	373,5/9/2024	300	350	28200
						1100	1150	

Sandhya

18